रक्षा क्षेत्र में छलांगः 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य; निर्यात और स्वदेशी उत्पादन देंगे रफ्तार

ASHOKA

SMA - Ashoka Express Publication

अशोका एक्सप्रेस

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress

E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती

प्रबंधक :- सज्जन सिंह

● वर्षः 29 ● अंक : 29 ● नई दिल्ली ● 09 से 15 अगस्त 2026 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

जेन-जी को भागवत के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं: प्रियंका गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। उन्होंने भागवत की जेन जी और जेन अल्फा के साथ हुई बातचीत के बाद कहा कि देश के युवाओं को उनसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, 'उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।'उनकी ये टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा मुंबई के नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र (एनएमएसीसी) में आयोजित एक सत्र के दौरान जेन जेड और जेन अल्फा के साथ बातचीत करने के एक दिन बाद आई है। इससे पहले दिन में, कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा पर निशाना साधता। उन्होंने एक्स के एक पोस्ट में लिखा, 'आरएसएस और भाजपा अपनी शब्दावली को तेजी से अपडेट कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, इससे उनकी विचारधारा नहीं बदलेगी। सच्चाई वही है - लोगों को बांटना, युवाओं को गुमराह करना और नफरत को नए रूप में पेश करना। संघ वही है, बस उसकी भाषा बदल गई है।' इसके अलावा, समाजवादी पार्टी (एसपी) के सांसद राम गोपाल यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जेनरेशन जी और जेनरेशन अल्फा के साथ बातचीत को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी जब भी खुद को 'पूरी तरह से घिरी हुई पाती है.

सड़क हादसे के बाद पटना में बवाल, उग्र भीड़ ने दस वाहनों को फूंका; कई थानों की फोर्स तैनात

पटना । पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद शुक्रवार को स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हादसे में तकिया गांव निवासी मनीष की मौत की खबर से आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच-30 पर जाम लगा दिया और सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद उपद्रवियों ने जिला प्रशासन के करीब पांच वाहनों में आग लगा दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। वाहनों से उठता धुआं और सड़क पर जमा भीड़ के कारण ह॥-30 पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर सड़क जाम हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य माध्यमों से जांच की जा रही है। फिलहाल, एनएच-30 पर यातायात व्यवस्था को सामान्य कराने और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है।

हादसे के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन किस तरह उग्र हुआ, इसे लेकर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। पटना सिटी के एसडीएम सत्यम सहाय ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इसके बाद मृतक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया गया और इसी दौरान हिंसा की घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि अब शव को सड़क से हटा दिया गया है और यातायात सामान्य कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा लीक से नहीं, पुरानी 'एकाधिकार व्यवस्था' से लड़ें

भारत ने परीक्षा धोखाधड़ी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। पेपर लीक के मामले में अब जेल की अधिक सख्त सजा होगी। संगठित नकल सिंडिकेटों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। जांच प्रक्रिया तेज होगी। विशेष अदालतें त्वरित न्याय प्रदान करेंगी। संसद ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि परीक्षाएं किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगने लगें, तो शायद आपराधिक कानून को इसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन क्या हो, अगर पेपर लीक बीमारी ही न हो? क्या होगा अगर परीक्षा प्रणाली खुद ही एक बीमारी हो? हर साल, लाखों छात्र अपनी किशोरावस्था एक ऐसी परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं, जो सिर्फ कुछ घंटों तक चलती है लेकिन अगले 40 वर्षों के उनके करियर का मार्ग तय करती है। फिर जब प्रश्नपत्र लीक होता है, तो हम हैरान होने का नाटक करते हैं। अत्यधिक जोखिम वाली प्रणालियां अक्सर बड़े अपराधों को जन्म देती हैं। भारत का कोचिंग उद्योग करियर की चिंता और आशंकाओं पर फलता-फूलता है और यह हमारी प्रवेश प्रणाली के कारण अस्तित्व में है। इसका वार्षिक राजस्व 60,000 करोड़ रुपए अनुमानित है और इसके लगातार बढ़ने की उम्मीद है। परिवार अनिवार्य रूप से एक 'लॉटरी' के लिए प्रति माह 50,000 रुपए से अधिक खर्च करते हैं और कुछ तो इसके लिए ऋण भी लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस (ए.आई.) अब भारत को 1947 के बाद से अपने सबसे मौलिक शैक्षिक सुधारों को लागू करने और देश के परीक्षा दर्शन में संशोधन करने का अवसर देती है। पहला विचार सरल है। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाले पैनल को यह सिफारिश करके शुरुआत करनी चाहिए कि उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में कई अवसर दिए जाएं। विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों को हर महीने सुरक्षित कम्प्यूटर-आधारित परीक्षाएं देने में सक्षम होना चाहिए और रैंकिंग के लिए उनका सर्वोत्तम स्कोर स्वतः ही चुन लिया जाना चाहिए। ए.आई. संचालित निगरानी, एन्क्रिप्टेड प्रश्न बैंक और एडाप्टिव टैस्ट प्रोटोकॉल इसे संभव बनाते हैं। बहु-अवसर प्रणाली पेपर लीक के प्रोत्साहन को कम करती है क्योंकि कोई भी एक परीक्षा जीवन का अंतिम और एकमात्र फैसला नहीं होती। दूसरा, एक समान प्रश्नपत्रों को समाप्त करें। प्रत्येक उम्मीदवार को एक सत्यापित और हैक-प्रूफ प्रश्न बैंक से ए.आई. द्वारा यादृच्छिक (रैंडमाइज्ड) रूप से तैयार किए गए अद्वितीय प्रश्न मिलने चाहिएं, जो समान कठिनाई स्तरों के लिए कैलिब्रेट किए गए हों। यदि हर प्रश्नपत्र अलग है, तो लीक हुआ पेपर खरीदना जीतने वाले नंबर के घोषित होने के बाद लॉटरी टिकट चुराने जैसा निरर्थक हो जाएगा।

तीसरा, यह नाटक करना बंद करें कि स्मरण शक्ति ही बुद्धिमता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल अनगिनत ज्ञान परीक्षणों में पहले से ही मनुष्यों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारी परीक्षाओं को तदनुसार विकसित होना चाहिए। छात्रों को स्मार्टफोन पर आसानी से उपलब्ध फॉर्मूले याद करने के लिए कहने की बजाय, इस बात का परीक्षण करें कि वे अपरिचित समस्याओं को कैसे हल करते हैं, ए.आई. जैनरेटेड उत्तरों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, मतिभ्रम का पता कैसे लगाते हैं, डाटा की व्याख्या कैसे करते हैं और बुद्धिमान प्रणालियों के साथ जिम्मेदारी से सहयोग कैसे करते हैं। कल का इंजीनियर ए.आई. की दुनिया में काम करेगा और उसे यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि कहां और कैसे गड़बड़ी हो रही है। चौथा, एक 'अकादमिक क्रैडिट पासपोर्ट' बनाएं। छात्र एक निश्चित समय अवधि में कई परीक्षाओं, परियोजनाओं, इंटर्नशिप, हैकाथॉन, शोध कार्य, सामुदायिक सेवा और व्यावहारिक मूल्यांकनों में अंक जमा करेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय एक दर्दनाक रविवार की सुबह के प्रदर्शन की बजाय छात्र के पूरे पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करेंगे। पांचवां, ए.आई. से प्रतिभा की पहचान करने को कहें, न कि केवल नकल पकडने को। परीक्षा प्रणालियां व्यावहारिक डाटा उत्पन्न कर सकती हैं। छात्र कठिन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, वे गलतियों से कितनी जल्दी उबरते हैं और क्या वे लगातार सुधार करते हैं-उदाहरण के लिए, वे कैसे तर्क देते हैं। यदि नैतिक और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाए, तो ए.आई. लचीलेपन, रचनात्मकता और सीखने की क्षमता को पहचान कर सकता है, जो वास्तव में मायने रखती है। छठा, और यह कोचिंग उद्योग को डरा देगा, विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता दें। हर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक जैसे प्रवेश मानदंड क्यों होने चाहिएं? कुछ संस्थान नवाचार पर जोर दे सकते हैं, अन्य उद्यमिता, अनुसंधान क्षमता या व्यावहारिक योग्यता पर। जब हर संस्थान एक ही प्रवेश परीक्षा का उपयोग करता है, तो उसके लिए तैयारी करने का मतलब खुद को एक आम सांचे में ढालना होता है। हालांकि यह एकरूपता पेच बनाने वाले कारखानों के अनुकूल हो सकती है लेकिन यह मानवीय प्रतिभा के विविधीकरण को बढ़ावा नहीं देती, जो आगे चलकर अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है।

यदि परीक्षाएं साल भर दी जा सकें, हर प्रश्न पत्र अद्वितीय हो, प्रवेश व्यापक मानदंडों द्वारा तय हो, रटने की बजाय तर्क का मूल्यांकन हो और विश्वविद्यालय विविध ताकतों की तलाश करें, तो कोचिंग सैंटरों को एक असाधारण बदलाव से गुजरना होगा। परीक्षा के गुर सिखाने की बजाय, उन्हें वास्तव में पढ़ाना पड़ेगा। धोखाधड़ी विरोधी कानूनों को सख्त करने वाले भारत के संशोधन आवश्यक हैं क्योंकि संगठित पेपर लीक जनता के विश्वास को खतरे में डालते हैं और वे कठोर सजा के हकदार हैं। लेकिन कल की परीक्षा प्रणाली पुलिसिंग के जरिए भविष्य की शिक्षा चुनौती को हल नहीं कर पाएगी। नकलचियों को पकडना और लीक-पेपर बाजार पर नकेल कसना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि एक ऐसी परीक्षा प्रणाली तैयार करना, जो नकल को व्यावसायिक रूप से निरर्थक बना दे, कोचिंग के एकाधिकार को समाप्त कर दे ।

सम्पादकीय

क्या भूपेश बघेल.....

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई.एन.सी.) का इतिहास जितना पुराना और गौरवशाली है, उतना ही आंतरिक कलह, गुटबाजी और ऐतिहासिक विद्रोहों से भी भरा पड़ा है। 1885 में अपनी स्थापना से लेकर आज तक, कांग्रेस ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई बड़े उतार-चढ़ाव, गुटबाजी और दलीय विभाजन देखे हैं। वर्तमान में, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पी.पी.सी.सी.) एक बार फिर ऐसे ही गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रही है। पार्टी उच्च कमान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त करके एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बघेल अपने वर्तमान पंजाब दौरे के दौरान पंजाब कांग्रेस के बिखरे हुए गुटों को एकजुट कर पाएंगे या नहीं, इस पर चर्चा करने से पहले, पंजाब में गुटबाजी के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। पंजाब कांग्रेस का इतिहास वैचारिक मतभेदों की बजाय व्यक्तिगत अहंकार और मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष से ही प्रभावित रहा है। पंजाबी सूबे के गठन से पहले और आजादी के तुरंत बाद, 1947 से 1950 तक, तत्कालीन मुख्यमंत्रियों गोपी चंद भार्गव और भीम सेन सच्चर के बीच गठबंधन इतना मजबूत हो गया था कि वे एक-दूसरे को हटाकर मुख्यमंत्री बनते रहे। पंजाबी सूबे के गठन के बाद, 1970 और 1980 के दशक में ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह के बीच का संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इसके बाद के काल में, कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजिंदर कौर भट्ठल के बीच एक लंबा राजनीतिक युद्ध चला। पंजाब कांग्रेस के लिए सबसे बुरा दौर 2021-2022 का रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सार्वजनिक कलह ने पार्टी को खोखला कर दिया। कैप्टन को मुख्यमंत्री पद छोडना पड़ा और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया लेकिन सिद्धू और चन्नी के बीच मतभेदों के कारण कांग्रेस को 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। आज भी पंजाब कांग्रेस की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। पार्टी के भीतर 2 मुख्य गुट उभर कर सामने आए हैं-संगठनात्मक गुट : वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में। चुनाव प्रचार समिति गुट : जालंधर से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में। चन्नी के समर्थक खुले तौर पर राजा वडिंग को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे नाजुक समय में भूपेश बघेल उच्च कमान के दूत के रूप में पंजाब दौरे पर हैं। हालांकि उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को एकजुट करना और जमीनी स्तर पर कार्यकर्त्ताओं को संगठित करना बताया जा रहा है लेकिन असल मकसद पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करना है। कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल एक अनुभवी नेता हैं और छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक सरकार चला चुके हैं। उनकी रणनीति और वर्तमान कार्यकाल के दौरान इसके परिणामों को 2 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है-उनकी यात्रा के सकारात्मक पहलुओं पर गौर करें तो उन्होंने कड़े फैसले लिए हैं और स्पष्ट संदेश दिए हैं। बघेल ने पंजाब पहुंचते ही साफ कर दिया कि नेतृत्व का मुद्दा अब खत्म हो चुका है।

जनपद गाजियाबाद में अंत्योदय और समावेशी विकास से साकार होता दिव्यांगजन सशक्तिकरण

प्रदेश सरकार के सर्वांगीण और समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। 'सहानुभूति नहीं, अधिकार एवं अवसर' के प्रगतिशील विचार को अपनाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐसे बाधा-मुक्त और सुगम वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, जहां प्रत्येक दिव्यांग नागरिक गरिमा, स्वाभिमान और पूर्ण आत्मनिर्भरता के साथ समाज की मुख्यधारा में अपना योगदान दे सके। इस दिशा में प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी प्राथमिकताओं और पारदर्शी प्रशासनिक तंत्र के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी संकल्पना को साकार करते हुए जनपद गाजियाबाद ने 'सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय' के मूलभूत मंत्र को अपनाते हुए दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

जिला प्रशासन के निरंतर प्रयासों से परंपरागत दयाभाव की अवधारणा को पीछे छोड़ते हुए दिव्यांगजनों को पूर्ण आत्मसम्मान और स्वावलंबन युक्त जीवन प्रदान करने का एक सुदृढ़ मॉडल आकार ले चुका है। जिला प्रशासन द्वारा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। जनपद गाजियाबाद में लागू की गई इस रणनीतिक कार्ययोजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और सहयोगी संस्थाओं के परस्पर समन्वय से अब तक जनपद में दस हजार से अधिक दिव्यांगजनों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, स्वास्थ्य कार्ड, राशन कार्ड और प्रामाणिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। पारदर्शी व्यवस्था और त्वरित क्रियान्वयन के चलते जिले के दूरस्थ क्षेत्रों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच अत्यंत सुगम बन गई है। प्रदेश सरकार की सबसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहल के अंतर्गत दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त करने के लिए यह धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा रही है। इस आर्थिक संबल से जनपद के हजारों लाभार्थी अपने दैनिक जीवन-यापन को सुगमता से संचालित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुष्ठ रोग से मुक्त हुए किन्तु दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति विशेष मानवीय संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें भी एक सम्मानजनक उच्चीकृत पेंशन राशि प्रदान की जा रही है। इस विशेष आर्थिक सहायता का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का समाज में उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना और उन्हें एक गरिमामय जीवन-यापन का अधिकार प्रदान करना है। आर्थिक सहायता के अतिरिक्त दिव्यांगजनों की भौतिक सुगमता और गतिशीलता बढ़ाने के लिए सहायक उपकरण योजना अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले नियमित मूल्यांकन एवं वितरण शिविरों के माध्यम से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, वॉकर, श्रवण यंत्र और दृष्टिबाधितों के लिए आधुनिक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन उपकरणों के वितरण ने दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन को बेहद सरल और सुलभ बना दिया है। आधुनिक तकनीक से लैस उपकरणों की उपलब्धता से जनपद गाजियाबाद के दिव्यांग युवाओं, विद्यार्थियों और छोटे व्यापारियों की अपने कार्यस्थल एवं शिक्षण संस्थानों तक पहुँच सुगम हुई है, जिससे उनकी उत्पादकता में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इसके साथ ही, प्रदेश सरकार के परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों एवं उनके एक सहयोगी के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा ने उनकी गतिशीलता को अभूतपूर्व विस्तार दिया है। शिक्षा और कौशल विकास को सशक्तिकरण का मूलमंत्र मानते हुए प्रदेश सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की एक सुदृढ़ व्यवस्था लागू की है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। जनपद गाजियाबाद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बौद्धिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित की गई है। विशिष्ट शिक्षण केंद्रों के माध्यम से श्रवण, वाक एवं अन्य शारीरिक भिन्नताओं से प्रभावित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सामान्य शिक्षा के साथ-साथ वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित स्पीच थेरेपी, कंप्यूटर साक्षरता और डिजिटल कौशल का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु विशेष सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। इन समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप जिले के विशेष बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर निरंतर पदक व सम्मान अर्जित कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण और आजीविका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद गाजियाबाद में बहुआयामी स्वरोजगार एवं रोजगार मॉडल लागू किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई सचल व्यावसायिक इकाइयों के माध्यम से दिव्यांग उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर व्यापार संचालित करने के सुरक्षित अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह कदम उन्हें सीधे तौर पर आजीविका से जोड़ने में अत्यधिक कारगर सिद्ध हो रहा है।

इसके साथ ही, जिला प्रशासन द्वारा निजी प्रतिष्ठानों और प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर दिव्यांग युवाओं की योग्यता एवं कौशल के अनुसार उन्हें सम्मानजनक नौकरियों में समायोजित कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार की सूक्ष्म ऋण सुविधाओं के माध्यम से दिव्यांग उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु रियायती ब्याज दरों पर ऋण तथा अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन रोजगारोन्मुख प्रयासों से सैकड़ों दिव्यांगजन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवारों के मुख्य संबल के रूप में उभरे हैं। दिव्यांगजनों के सामाजिक एकीकरण और पारिवारिक जीवन को स्थायित्व प्रदान करने के ध्येय से लागू शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रदेश सरकार की एक विशिष्ट और संवेदनशील पहल है। इसके तहत विवाह करने पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन धनराशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। यह योजना दिव्यांगजनों के प्रति व्याप्त सामाजिक भ्रांतियों और उपेक्षात्मक सोच को समाप्त करने में एक मील का पत्थर साबित हुई है। आवश्यकतानुसार शल्य चिकित्सा हेतु अनुदान भी निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वजनिक सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के स्तर पर एक संवेदनशील एवं जवाबदेह पैरवी तंत्र कार्यरत है। परिवहन एवं रेल यात्रा रियायत पत्रों के निर्गमन और विभागीय बाधाओं के त्वरित निवारण हेतु जनपद गाजियाबाद में नियमित अंतराल पर सुगम समाधान शिविरों का आयोजन किया जाता है।

प्रदेश सरकार के अभियानों के तहत सभी प्रमुख प्रशासकीय भवनों, न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थानों और बस अड्डों को रैंप तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से पूर्णतः बाधारहित बनाया जा रहा है। जनपद गाजियाबाद में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में प्राप्त इस असाधारण सफलता का मुख्य आधार जिला प्रशासन की संवेदनशीलता, तत्परता और निरंतर अनुश्रवण रहा है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों का सुचारू क्रियान्वयन यह स्पष्ट करता है कि यदि दिव्यांगजनों को उचित अवसर और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए, तो वे किसी पर निर्भर रहने के बजाय राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ बन सकते हैं। भविष्य की कार्ययोजनाओं को रेखांकित करते हुए जनपद गाजियाबाद में शिक्षा का आधुनिकीकरण, उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहयोग तथा पूर्णतया बाधारहित अवसंरचना के निर्माण की दिशा में प्रयास और भी तेज किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की यह दृढ़ प्रतिबद्धता है कि आगामी समय में आधुनिक तकनीक और नवाचारों का वृहद उपयोग कर प्रत्येक पात्र दिव्यांगजन को सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी बनाया जाएगा, जिससे समावेशी विकास और उन्नत राष्ट्र की संकल्पना को निरंतर गति मिल सके।

स्वामी, प्रकाशक वं मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

इंस्टाग्राम से पति का सरनेम हटाना चाहती हैं आकांक्षा चमोला, नियमों के कारण फंसा पेंच

टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में पति और एक्टर गौरव खन्ना से अलग होने का ऐलान करने के बाद अब आकांक्षा अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बदलाव करना चाहती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम और मेटा इंडिया से अपना यूजरनेम बदलने में मदद मांगी है। फिलहाल उनका इंस्टाग्राम हैंडल Akankshagkhanna है, लेकिन अब वह इसमें से गौरव खन्ना का सरनेम हटाना चाहती हैं। आकांक्षा चमोला ने शुक्रवार को एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वह कई कोशिशों के बाद भी अपना यूजरनेम नहीं बदल पा रही हैं। उन्होंने मेटा और इंस्टाग्राम को टैग करते हुए मदद मांगी। उन्होंने लिखा, 'यूजरनेम बदलने के लिए तुरंत मदद चाहिए। वेरिफिकेशन से जुड़ी मौजूदा पाबंदियों के कारण कई कोशिशों के बावजूद हम यूजरनेम बदल नहीं पाए हैं। अगर आपकी टीम इस समस्या पर गौर करे और समाधान बताए तो अच्छा होगा। ' गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के रिश्ते को लेकर जून में बड़ा खुलासा हुआ था। लॉक अप 2 के प्रीमियर के दौरान आकांक्षा ने बताया था कि दोनों ने एक साल तक अलग रहने के बाद अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा था कि यह फैसला दोनों की सहमति से लिया गया है और वे काफी समय से इस बारे में बातचीत कर रहे थे। आकांक्षा ने यह भी बताया था कि उनकी लीगल टीमें तलाक की प्रक्रिया पर काम कर रही हैं और सिर्फ आखिरी कागजी कार्रवाई बाकी है। अलग होने की खबर सामने आने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने आकांक्षा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यह कदम सिर्फ चर्चा और टीआरपी के लिए उठाया है। इन आरोपों पर जवाब देते हुए आकांक्षा ने कहा था कि कोई भी महिला इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने पति से तलाक की घोषणा सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि अगर किसी को शक है तो वह उनकी लीगल टीम से बात कर सकता है। बता दें कि आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल्स में से एक रहे हैं। दोनों ने साल 2016 में शादी की थी। अब अलगाव के बाद आकांक्षा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी पुरानी पहचान को बदलना चाहती हैं।

हॉट अवतार में दिखीं 'द केरल स्टोरी 2' की यह एक्ट्रेस, बोल्ड शूट देख भड़के यूजर्स; बोले- 'मेरी फेवरेट थीं पर..'

एक्ट्रेस उल्का गुप्ता अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उल्का काफी समय से सिनेमा से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है। अब उन्होंने कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसके बाद फैंस काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उल्का गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरों की पोस्ट शेयर की, जिसमें वो काफी शानदार दिख रही हैं। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'मिट्टी जैसे रंगों में सजी, हर एक अंदाज़ को अपनाते हुए। पोस्ट में उल्का ब्राउन कलर की ड्रेस में पोज देती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी बोल्ड लुक में अदाएं बिखेरती नजर आ रही हैं।

अब जहां एक तरफ कई फैंस उनके इस लुक की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके इस फोटोशूट पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया- 'मेरी फेवरेट थी, पर अब नहीं।' वहीं दूसरे ने लिखा- 'आपका ट्रेडिशनल में पिछला लुक ज्यादा अच्छा था।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- 'आप इस तरह के शूट क्यों करवाती हैं।' इनके अलावा कई लोगों ने उनके लुक

की तारीफ भी की। बता दें कि उल्का गुप्ता हाल ही में 'केरल स्टोरी 2' में नजर आईं थीं, जो 'केरल स्टोरी' का सीक्वल था। 'केरल स्टोरी 2' बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी, हालांकि उल्का की एक्टिंग को काफी सराहना मिली थी। उल्का गुप्ता पहली बार टीवी सीरियल 'झांसी' की रानी में मुख्य भूमिका में नजर आई थीं। हिंदी टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद उल्का ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। उल्का की पहली तेलुगु फिल्म 2015 में 'आंध्र पोरी' नाम से रिलीज हुई थी।

उल्का गुप्ता ने रणवीर सिंह की 'सिम्बा' में भी अभिनय किया था। उल्का को अपने उम्दा अभिनय के लिए कई टीवी अवॉर्ड भी मिल चुके हैं।

विजय की पत्नी संगीता ने वापस ली तलाक की अर्जी, कोर्ट ने मामले को किया निपटाया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच चल रहे तलाक के बहुचर्चित कानूनी विवाद में एक नया मोड़ आया है। संगीता ने चेंगलपट्टू जिला अदालत में दाखिल अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है। अर्जी वापस लिए जाने के बाद अदालत ने इस मामले का औपचारिक रूप से निपटारा कर दिया है। संगीता ने फरवरी में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। अपनी अर्जी में उन्होंने आरोप लगाया कि विजय का एक महिला अभिनेत्री के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (विवाह-बाहर संबंध) था, जिसके बारे में उन्हें 2021 में पता चला। अर्जी में यह भी कहा गया कि विजय के यह भरोसा दिलाने के बावजूद कि वह रिश्ता खत्म कर देंगे, उन्होंने बिना किसी पछतावे के इसे जारी रखा। दस्तावेजों में यह भी आरोप लगाया गया कि विजय ने धीरे-धीरे संगीता को अपनी सामाजिक और पेशेवर ज़िंदगी से दूर कर दिया, जबकि वे उस अभिनेत्री के साथ विदेश यात्राएँ करते रहे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। अर्जी में यह भी दावा किया गया कि इन मौकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नियमित रूप से शेयर की जाती थीं, और विजय ने न तो उनसे इनकार किया और न ही उन पर कोई आपत्ति जताई। संगीता के अनुसार, इन पोस्ट्स की वजह से उन्हें और उनके दो बच्चों, जेसन संजय और दिव्या साशा को बार-बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने विजय पर उन्हें पहले मिलने वाली आर्थिक मदद और सुविधाओं को बंद करने और उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी आरोप लगाया, जिसमें उनकी घूमने-फिरने की आज़ादी पर रोक लगाना भी शामिल था। संगीता ने आगे आरोप लगाया कि विजय के लगातार व्यवहार और 2024 में सोशल मीडिया पर सामने आए विवादों के कारण उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुँचा। उन्होंने दावा किया कि उनकी शादी असल में टूट चुकी थी और सिर्फ़ कागज़ों पर ही बची थी। अपनी अर्जी में उन्होंने कहा कि रिश्ता अब सुधरने लायक नहीं रहा और इससे

उन्हें मानसिक पीड़ा, अपमान, शर्मिंदगी और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिला। तलाक की अर्जी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले दाखिल की गई थी। हालाँकि, चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की पत्नी संगीता ने अर्जी वापस लेने का फ़ैसला किया। जून 2026 में, चेंगलपट्टू परिवार कल्याण अदालत ने विजय और संगीता के तलाक के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद, अदालत ने मामले को 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया था। सुनवाई से पहले के हफ़्तों में, ऐसी खबरें आई थीं कि शायद यह जोड़ा सुलह की ओर बढ़ रहा है। इस बात पर भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे कोर्ट में वर्चुअली पेश होंगे या खुद आएंगे। इस साल की शुरुआत में, संगीता ने चेंगलपट्टू की ज़िला अदालत में एक अर्ज़ी दायर की। इसमें उन्होंने चेन्नई के नीलांकरई में मौजूद अपने पारिवारिक घर में तब तक रहने की इजाज़त मांगी, जब तक कि तलाक की कार्यवाही पूरी न हो जाए। 22 फरवरी को दी गई यह अर्ज़ी, स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत दायर उनकी मुख्य तलाक की याचिका का हिस्सा थी। शादी खत्म करने की मांग के साथ-साथ, उन्होंने स्थायी गुजारा-भत्ता (एलिमनी) और नीलांकरई वाले घर में तब तक रहने का अधिकार भी मांगा, जब तक कि मामले का फैसला न हो जाए या उन्हें उसी स्तर का कोई दूसरा घर न मिल जाए। अपनी अर्ज़ी में संगीता ने कहा कि उनकी और विजय की शादी को 26 साल हो चुके हैं और उन्होंने अपना जीवन घर संभालने और अपने दो बच्चों - 25 साल के जेसन संजय और 20 साल की दिव्या साशा - की परवरिश में लगाया है। उन्होंने तर्क दिया कि शादी के दौरान वे विजय की जीवनशैली के हिसाब से रहीं और उनके पास ऐसा कोई दूसरा घर नहीं है जो उस जीवनशैली के स्तर का हो। याचिका में विजय की एक प्रमुख तमिल अभिनेता और भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' के संस्थापक के तौर पर उनकी सार्वजनिक पहचान का भी ज़िक्र किया गया। संगीता के अनुसार, कोर्ट जाने से पहले उन्होंने मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे कोशिशें नाकाम रहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विजय के वकील ने उन्हें बताया कि अगर वे तलाक के लिए आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें नीलांकरई वाले घर में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिससे उन्हें अपना घर खोने की चिंता सताने लगी। बायोमेडिकल साइंस में डिग्री रखने वालीं और यूके की नागरिक संगीता ने कहा कि फिलहाल उनके पास रहने के लिए कोई उपयुक्त वैकल्पिक जगह नहीं है। इसलिए, उन्होंने एक अंतरिम आदेश की मांग की ताकि वे कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक सभी मौजूदा सुविधाओं के साथ नीलांकरई वाले घर में रह सकें। यह घर विजय के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से गहराई से जुड़ा होने के कारण भी महत्वपूर्ण है। विजय अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनकी अक्सर साथ काम करने वालीं को-स्टार त्रिशा कृष्णन भावुक नज़र आईं।

सिख समाज की आवाज़ को मजबूती देंगे सरदार गुरदीप सिंह सप्पल-गुरदीप सिंह साहनी

नई दिल्ली।(आकाश शक्य) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के प्रभारी प्रशासन एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य सरदार गुरदीप सिंह सप्पल को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति एवं घोषणापत्र समिति का सदस्य नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं सिख समाज में खुशी की लहर है।

पीपुल वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल ह्यूमन राइट्स विभाग के सचिव सरदार गुरदीप सिंह साहनी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह नियुक्ति संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करेगी।

साहनी ने कहा कि सरदार गुरदीप सिंह सप्पल हमेशा सिख समाज के अधिकारों, सम्मान और न्याय की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। उनका जनसेवा और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण उन्हें एक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली नेता बनाता है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरदार सप्पल के अनुभव और नेतृत्व से कांग्रेस संगठन को नई दिशा मिलेगी तथा सिख समाज सहित सभी वर्गों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने में मदद मिलेगी। गुरदीप सिंह साहनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा भाईचारे, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों के साथ खड़ी रही है और सरदार गुरदीप सिंह सप्पल की नई जिम्मेदारी इन मूल्यों को और सशक्त बनाएगी। उन्होंने सरदार गुरदीप सिंह सप्पल को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

सीलमपुर के पूर्व आप नेता इमरान हसन कांग्रेस में शामिल, सैकड़ों समर्थकों ने भी थामा कांग्रेस का दामन

नई दिल्ली।(साहिल गौड़) सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री इमरान हसन ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्वाज ने उन्हें कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी में विधिवत शामिल कराया। राजीव भवन स्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री इमरान हसन के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि उनके जुड़ने से संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बाबरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजकुमार जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं लोकसभा प्रभारी श्री लक्ष्मण रावत, पूर्व विधायक श्री अब्दुल रहमान, पूर्व विधायक हाजी इशराक, सीलमपुर विधानसभा के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों और जनहित के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर विभिन्न वर्गों के लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री इमरान हसन का राजनीतिक अनुभव, जनसंपर्क और संगठनात्मक सक्रियता कांग्रेस को क्षेत्र में और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिल्ली कांग्रेस परिवार ने श्री इमरान हसन एवं उनके साथ कांग्रेस में शामिल हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया।

लुंबिनी (नेपाल) में अशोक स्तंभ

सम्राट अशोक स्तंभ दक्षिणी नेपाल के रूपनदेही जिले में भारतीय सीमा के करीब लुम्बिनी में स्थित है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान भारतीय सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कई पत्थर के स्तंभों में से एक है। यहां प्रकृति ठण्डी और बर्फीली है यहां के लोग असत्यवादी और बेईमान हैं इनका स्वभाव कठोर और भयानक है इनकी सूरत निकम्मी और बेढंगी होती है,पढ़ाई लिखाई का प्रचार नही परंतु ये चतुर कारीगर अवश्य हैं । विरोधी और बौद्ध मिले जुले रहते हैं संघाराम और देव मंदिर अर्थात (अर्हत बोधिसत्व) पास पास बने हैं लगभग 2000 भिक्खु हीयान महायान दोनो पंथो के अनुयाई हैं । राजा जाति से लिच्छवि वंस का खतिय है ।

इनका अंतः करण स्वच्छ तथा आचरण शुद्ध और सात्विक है और बौद्ध धम्म से इसे बहुत प्रेम है । आज केवल 19 स्तंभ बचे हैं जिन पर शिलालेख हैं जिनमें से

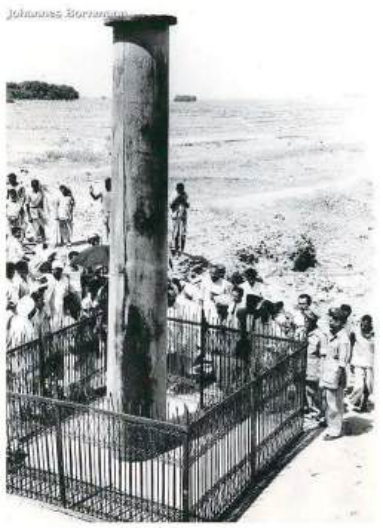

अधिकांश भारत में पाए गए हैं। लुंबिनी, नेपाल में स्थित शिलालेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह नेपाल में पाया गया सबसे पुराना शिलालेख है और यह धम्मा अशोक की धम्मा यात्रा के दर्म्यान बुद्ध के जन्मस्थली की यात्रा का भी स्मरण कराता हैं..!! ह्वेनत्सांग 629 से 645 ईस्वी

3 घंटे में पोस्ट हटाने वाले नए नियम पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले- यह कानून आवाज दबाएगा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के एक नए प्रावधान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश देकर किसी भी पोस्ट को तीन घंटे के अंदर हटवाने का कानून लाई है। उन्होंने कहा कि यह कदम जनरेशन जी के आंदोलनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर को दर्शाता है। केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'मोदी सरकार का नया कानून आया है। अगर सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई पोस्ट डिलीट करने के लिए कहती है, तो उन्हें 3 घंटे के भीतर उसे डिलीट करना होगा।

अशोका एक्सप्रेस की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्केन करे।

अशोका एक्सप्रेस
राष्ट्रीय हिन्दी समाचार-पत्र
प्रिय पाठक, विज्ञापन दात्ता,
आप अपने क्षेत्र की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य तथा धार्मिक लेख, कविता एवं कार्टून लिख भेजें। व्हाट्सएप या ईमेल पर आपके द्वारा भेजी गई सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा।
नोट: पूर्व प्रकाशित लेखो को न भेजे।
संपादक: विजय कुमार
Website: https://ashokaexpress.com/, Email:-ashoka.express@live.com, Mobile No. 9810674206
अशोका एक्सप्रेस को आर्थिक योगदान भी कर सकते है।
Account Holder Name : ASHOKA EXPRESS
Bank Account No. : 10650995502 & 41856402452
IFSC Code : SBIN0004846
UPI ID : 9810674206@sbi

'एक पर हमला, सब पर अटैक माना जाएगा

' पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बड़ी डिफेंस डील

नई दिल्ली । तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. समझौते के अनुसार, इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए.

मक्का में तीनों देशों के बीच हुई डील

मक्का के अल-सफा पैलेस में आयोजित शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर किए. तीनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि यह समझौता उनके ऐतिहासिक संबंधों, इस्लामी एकजुटता, साझा रणनीतिक हितों और लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग पर आधारित है. इसका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना और क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है.

सैन्य, सुरक्षा और रणनीतिक समन्वय को और मजबूत करने का प्रावधान किया गया है. यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा हालात और क्षेत्रीय तनाव को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं. पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता का भी काम किया.

भाई अबान की मिट्टी में शामिल होने के लिए अली और उमर को मिली पेरोल, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

प्रयागराज ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाई अबान अहमद की मिट्टी में शामिल होने के लिए जेल में बंद अली अहमद और उमर अहमद को पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को बुआ परवीन कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत ने दिया है। एक घंटे तक दोनों अपने छोटे भाई और परवीन कुरैशी से मिल सकेंगे। प्रशासन व्यवस्था करेगा। इसके बाद दोनों को सुरक्षित जेल पहुंचाएंगे। बता दें कि अली अहमद झांसी और उमर अहमद

लखनऊ की जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि दोनों भाई अपने दिवंगत भाई को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार के साथ सीमित समय बिताना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि वे जहां आवश्यक हो, वहीं नमाज अदा कर सकते हैं और प्रशासन को सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने होंगे। सुनवाई के दौरान अली अहमद झांसी जेल से और उमर अहमद लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। प्रारंभ में झांसी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तकनीकी दिक्कत आने पर अदालत ने नाराजगी जताई। न्यायालय ने कहा कि केवल आवाज आ रही है, वीडियो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद तकनीकी समस्या दूर करने के निर्देश दिए गए और सुनवाई आगे बढ़ी।

आवाजें एक साथ उठती हैं तभी सरकार झुकती है : राहुल गांधी ने पेपर लीक पर बीजेपी को घेरा

नई दिल्ली । शुक्रवार को प्रयागराज में अपने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तभी झुकती है जब आवाज़ें एक साथ उठती हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि परीक्षा के पेपर लीक होने के खिलाफ़ छात्रों के लगातार विरोध-प्रदर्शनों ने सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए मजबूर किया। गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में, गांधी ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर महीनों तक चले विरोध-प्रदर्शनों के बाद पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का ज़िक्र किया और कहा कि सामूहिक कार्रवाई ने सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया। गांधी ने कहा कि प्रयागराज वह शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो गया है। छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है; समस्या उस सिस्टम में है जो उनकी मेहनत की कद्र नहीं करता। उन्होंने नौकरी के उम्मीदवारों के सामने आने वाली समस्याओं में पेपर लीक, रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों में लंबी देरी का ज़िक्र किया। कोटा और देहरादून में छात्रों के साथ अपनी हालिया बातचीत का

ज़िक्र करते हुए, गांधी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में भी ऐसी ही शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने वाले छात्रों के ख़िलाफ़ पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आखिरकार, एक मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा। यह सरकार तभी झुकती है जब लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं।' उन्होंने छात्रों को 8 अगस्त को शाम 5 बजे प्रयागराज के चक्क ग्राउंड में होने वाली बातचीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। चक्क कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड के इस्तेमाल की मंजूरी वापस लेने के बाद इस कार्यक्रम पर कुछ समय के लिए अनिश्चितता के बादल छा गए थे। मैनेजमेंट ने इसके लिए पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी वजहों और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया था जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कॉलेज मैनेजमेंट ने शहर की कांग्रेस इकाई को लिखे एक पत्र में आयोजकों से कहा था कि वे बुकिंग रद्द करके जमा की गई रकम वापस ले लें। हालांकि, बाद में प्रशासन ने पहले किए गए रद्दीकरण को वापस लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्रयागराज का यह कार्यक्रम परीक्षा की शुचिता, भर्ती में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर छात्रों और युवाओं तक पहुंचने की कांग्रेस की कोशिश का हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट: चार साल की दुष्कर्म पीड़िता का इलाज करने से किया था इनकार, अब अस्पताल भरेंगे 12 लाख जुर्माना

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गाजियाबाद के दो निजी अस्पतालों को चार वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में उसके परिवार को क्रमशः 10 लाख रुपये और 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने माना कि दोनों अस्पतालों ने बच्ची को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, जिससे उसकी जान चली गई। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि वह गंभीर अपराधों के पीड़ितों के उपचार और ऐसे मामलों की जांच के दौरान अस्पतालों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारियों को लेकर व्यापक दिशानिर्देश जारी करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट का संज्ञान लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि बच्ची गंभीर रूप से घायल होने और लगातार खून बहने के बावजूद लगभग पांच घंटे तक जीवित थी, लेकिन संबंधित अस्पतालों ने उसे आवश्यक चिकित्सा सहायता देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अदालत ने गाजियाबाद स्थित सुपर स्पेशियलिटी सेंट जोसेफ (मरियम) अस्पताल को 10 लाख रुपये तथा खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर को 2 लाख रुपये पीड़िता के पिता को चार सप्ताह के भीतर अदा करने का निर्देश दिया। 16 मार्च को आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति चार वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी देर तक बच्ची के घर नहीं लौटने पर उसके पिता ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में बच्ची बेहोशी की हालत में खून से लथपथ मिली। परिजन बच्ची को सबसे पहले दो निजी अस्पतालों में लेकर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि दोनों अस्पतालों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इस मामले की सुनवाई के दौरान गाजियाबाद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने और जांच करने में दिखाई गई कथित अनिच्छा पर गंभीर नाराजगी जताई थी। पीड़िता के पिता, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ने याचिका दायर कर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) अथवा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की थी। 10 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में गाजियाबाद पुलिस के 'असंवेदनशील रवैये' पर कड़ी फटकार लगाई थी।

पीएम मोदी ने बागी टीएमसी सांसदों से कहा, वे क्या कहते हैं, इसकी चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ

नई दिल्ली।प्रधानमंत्री मोदी ने नाश्ते पर 45 बागी सांसदों, जिनमें टीएमसी और UBT के पूर्व सदस्य प्रमुख थे, को एनडीए में शामिल होने का आश्वासन दिया। उन्होंने सांसदों को आलोचनाओं से विचलित न होने का संदेश देते हुए कहा, 'मैं आपके साथ हूँ', जो मानसून सत्र के दौरान विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।

शुक्रवार को नई दिल्ली में नाश्ते पर हुई एक खास बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागी सांसदों को भरोसा दिलाया कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खबरों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, इसकी चिंता न करें। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। यह बैठक मॉनसून सत्र के दौरान संसद में हो रहे नए गठबंधनों के बीच विपक्ष के पूर्व सांसदों का स्वागत करने और उन्हें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल करने के लिए बुलाई गई थी। इस नाश्ते में लगभग 45 सांसद शामिल हुए। इनमें टीएमसी के 20 बागी सांसद (जो हाल ही में 'नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया' या NCPI में शामिल हुए हैं),

उद्धव सेना के सात पूर्व सांसद (जिनमें से छह आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए), नेशनल पीपल्स पार्टी के 20 सांसद और NCP (अजित पवार गुट) के दो सांसद शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के सांसदों से लोगों के बीच अपनी पहुँच बढ़ाने को कहा और कहा कि देश की तरक्की के लिए राज्य की तरक्की बहुत ज़रूरी है। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार, हर सांसद को उनके सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ाव की जानकारी वाला एक प्रिंटआउट दिया गया और प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के साथ डिजिटल जुड़ाव बढ़ाने को कहा। मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि जब बंगाल तरक्की करता है, तो भारत तरक्की करता है और सांसदों से कहा कि राज्य में अभी बहुत काम करना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास सिर्फ़ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों को भी बेहतर कनेक्टिविटी और तेज़ी से विकास की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने सांसदों को सालाना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह भी दी और कहा कि आगे के बड़े काम को देखते हुए उन्हें फिट रहने की जरूरत है। चाय के दौरान बैठक में कुछ हल्के-फुल्के पल भी आए। जब माचा चाय परोसी गई, तो बीजेपी सांसद शताब्दी रॉय ने प्रधानमंत्री को बताया कि यह क्या है और कहा कि यह पश्चिम बंगाल में भी मिलती है। मोदी ने फिर से कहा कि बंगाल को भारत की तरक्की में अपनी अहम भूमिका फिर से हासिल करनी चाहिए; उन्होंने कहा कि जब राज्य ने पहले तरक्की की थी, तो देश ने भी तरक्की की थी। बातचीत के दौरान हंसी-मज़ाक का माहौल तब बना जब सीनियर सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री कई ऐसे नेताओं से घिरे हुए हैं जो पहले एक्टर थे - इनमें शताब्दी रॉय, सयोनी घोष, जून मालिया और रचना बनर्जी शामिल हैं। उन्होंने मज़ाक में कहा कि उनके साथ बने रहने के लिए प्रधानमंत्री को भी फिट रहना होगा। NCPI की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि हम उनके ज्ञान और हमारे साथ उनके व्यवहार, दोनों से ही बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने हमें अपनाया और कहा कि हम सब एक परिवार हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हम पश्चिम बंगाल की बड़ी तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे... उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया: कि हम तरक्की और विकास के लिए साथ मिलकर काम करेंगे।

अलग-अलग विभागों से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश, विपक्ष का हंगामा, बीजेपी-आप विधायक भिड़े

नई दिल्ली । विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के साथ हुई। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पूर्व शुक्रवार को विधानसभा परिसर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का गर्मजोशी से स्वागत किया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को पुष्पमालाएं पहनाकर और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच उनका अभिनंदन किया और दिल्ली लक्ष्मी योजना लागू करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति अपना विश्वास और उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना दिल्ली की महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अलग-अलग विभागों से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की गई। उधर, प्रश्नकाल को लेकर विधानसभा में हंगामा हो गया। विपक्ष के आरोपों का मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने जवाब दिया। कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछली सरकार में प्रश्न काल हुआ ही नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र का पहला दिन है लेकिन विपक्ष की गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। कपिल मिश्रा ने कहा, पिछले पांच साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की सरकार में पांच प्रश्न काल भी नहीं हुए, विपक्ष ने अगर यह सवाल उठाया है तो उन्हें जवाब भी सुनना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि नेता विपक्षी सदन से गायब है जो कि यह साबित करता है कि आखिर विपक्ष कितना गंभीर है। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार और भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी के बीच बहस हो गई।

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन बंद करने पर विचार क्यों नहीं? दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र से सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध-प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार से अहम सवाल पूछा। अदालत ने कहा कि सरकार यह क्यों नहीं सोचती कि जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की निर्धारित जगह के तौर पर बंद कर दिया जाए, ताकि शहर के बीचों-बीच होने वाले प्रदर्शनों से आम लोगों को परेशानी न हो।

'बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए'

जस्टिस अमित महाजन ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी शहर को बार-बार विरोध-प्रदर्शनों की वजह से 'बंधक' नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार को लेना है, लेकिन यह विचार किया जाना चाहिए कि शहर के बीच ऐसे प्रदर्शन होने चाहिए या नहीं। यह टिप्पणी 'ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटी' की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। याचिका में दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति के लिए दी गई अर्जी पर फैसला करे। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने अदालत को बताया कि उनकी संस्था ने जुलाई में अनुमति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक न तो उसे मंजूरी दी है और न ही खारिज किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रदर्शन में अधिकतम 75 लोगों के शामिल होने की योजना है। सुनवाई के दौरान अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से पूछा कि सरकार जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद करने पर विचार क्यों नहीं करती। इस पर ASG शर्मा ने कहा कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पहले से मौजूद हैं और शीर्ष अदालत भी इस सवाल पर

विचार कर रही है कि क्या जंतर-मंतर को स्थायी प्रदर्शन स्थल के रूप में जारी रखा जाना चाहिए।

प्रदर्शन पर पुलिस-प्रशासन ले फैसला

जब याचिकाकर्ता की ओर से यह सवाल उठाया गया कि क्या सरकार का रुख यह है कि दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन ही नहीं हो सकते, तब अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर सवाल उठाना नहीं है। अदालत ने कहा कि यह तय करना पुलिस और प्रशासन का काम है कि किस स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति दी जाए, लेकिन शहर के सामान्य कामकाज पर अनावश्यक असर नहीं पड़ना चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है। इस पर जस्टिस महाजन ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि पूरे शहर का सामान्य जीवन प्रभावित न हो।

फिलहाल धारा 163 लागू है

सरकार की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि फिलहाल जंतर-मंतर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस नजदीक होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी विशेष सावधानी बरती जा रही है। फिलहाल अदालत ने इस मामले में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शनों को लेकर अंतिम निर्णय संबंधित पुलिस अधिकारी या उच्च न्यायालयों के आदेशों के आधार पर ही होगा।

'थैंक्यू रेखा दीदी': दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए जताया सीएम का आभार, विधानसभा में दिखा भावुक पल; 4.57 लाख आवेदन

दिल्ली । दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पूर्व शुक्रवार को विधानसभा परिसर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का गर्मजोशी से स्वागत किया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को पुष्पमालाएं पहनाकर और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच उनका अभिनंदन किया और दिल्ली लक्ष्मी योजना लागू करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति अपना विश्वास और उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना दिल्ली की महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिलाओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दिल्ली लक्ष्मी योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मसम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह योजना लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और महिलाओं को नए अवसर प्रदान करेगी।

सीएम रेखा ने अधिकारियों के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र महिला तक इस योजना का लाभ पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह सुगम बनाया जाए ताकि किसी भी पात्र महिला को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। महिलाओं का यह स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद उनकी सरकार के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए 4,57,541 पंजीकरण

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर नई जनकल्याणकारी पहल करती रहेगी तथा महिलाओं के जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के प्रति महिलाओं के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार सुबह 8 बजे तक योजना के तहत 4,57,541 पंजीकरण पूरे हो चुके हैं, जबकि 1,72,940 महिलाओं ने अपने आवेदन सफलतापूर्वक अंतिम रूप से जमा कर दिए हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों ने गोली खाईं, आप अंडों से डरती हैं?: महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट की दो-टूक, ठुकराई मांग

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने पुलिस के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बजाय वर्चुअली पूछताछ की अनुमति मांगी थी। अदालत ने साफ कहा कि जांच का सामना करना होगा और केवल सांसद होने के आधार पर विशेष छूट नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के सामने महुआ मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की अनुमति दी जाए। वकील ने कहा कि पिछली बार जब महुआ मोइत्रा अपने निर्वाचन क्षेत्र के पुलिस थाने गई थीं, तब उनके खिलाफ विरोध हुआ था और उन पर अंडे भी फेंके गए थे। इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए वर्चुअल उपस्थिति की अनुमति दी जानी चाहिए। उन इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, 'क्या सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं?' उन्होंने

आगे कहा, 'जब आपने राजनीति में आने का फैसला किया है तो अंडे फेंके जाने से क्यों डरती हैं? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपनी छाती पर गोलियां खाई थीं'। अदालत के रुख को देखते हुए महुआ मोइत्रा की ओर से उनके वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मामला वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया।वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को हेट स्पीच मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें उन्हें 14 अगस्त को जांच अधिकारी के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया था। महुआ मोइत्रा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के होगलबेरिया थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले को झूठा बताते हुए एफआईआर रद्द करने और पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। 21 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने उन्हें 5 अक्तूबर तक गिरफ्तारी जैसी कठोर कार्रवाई से अंतरिम राहत दी थी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह राहत तभी मिलेगी, जब महुआ मोइत्रा जांच में पूरा सहयोग करें और पुलिस के नोटिस का पालन करते हुए जांच अधिकारी के सामने पेश हों। हाईकोर्ट ने कहा था कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की जिन धाराओं में मामला दर्ज है, उनमें अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है। इसलिए कानून के अनुसार उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन जांच में सहयोग करना अनिवार्य होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में 1 अक्तूबर को होगी।

अरावली की हरियाली बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने आह्वान किया कि हरियाणा का प्रत्येक परिवार प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कम-से-कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने की, जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन तथा पौधारोपण किया। उन्होंने उपस्थितजन को 'एक पेड़-मां के नाम' लगाने तथा दूसरों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री ने वन विभाग की पुस्तिका 'एक पेड़-मां के नाम' तथा 'हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज' का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने 'हरित हरियाणा' विषय पर आयोजित निबंध, चित्रकला एवं अन्य विभिन्न प्रतियोगिताओं में गुरुग्राम जिला के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया।

मुख्यमंत्री ने अरावली पर्वतमाला का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि अरावली बोल सकती, तो वह हमसे पूछती कि हजारों वर्षों तक शुद्ध हवा, जल संरक्षण और जैव विविधता प्रदान करने के बदले हम उसके लिए क्या छोड़कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव इसी प्रश्न का उत्तर देने का अवसर है। यह केवल पौधारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाने और पर्यावरण संरक्षण को जन-संस्कार बनाने का अभियान है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष वन महोत्सव का पहला चरण 30 जुलाई को करनाल में आयोजित किया गया था और अब दूसरे चरण की शुरुआत मानेसर से की गई है। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में वन महोत्सव आयोजित किए जाएंगे, ताकि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण के इस महाअभियान का भागीदार बन सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 75 नमो पार्क विकसित किए जा चुके हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सी-वन विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें पैदल पथ, साइकिल ट्रैक और नागरिकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करनाल में ऑक्सी-वन तैयार हो चुका है, जबकि पंचकूला में इसका निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा सोनीपत के मुरथल और यमुनानगर के सढ़ौरा में नगर वन विकसित किए गए हैं तथा प्रदेश के प्रत्येक गांव में 'पंचवटी' के नाम से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के 48 कोस क्षेत्र के 134 तीर्थ स्थलों पर पंचवटी वाटिकाओं का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्ष प्रकृति का ऐसा अद्भुत चमत्कार हैं जिनकी जड़ें अतीत में, तना वर्तमान में और शाखाएँ भविष्य तक फैली होती हैं। एक पौधा लगाना केवल मिट्टी में बीज बोना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सांसों, भविष्य की छाया और पृथ्वी की सुरक्षा का बीजारोपण है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में स्वयं को वृक्षों में पीपल बताया है, जबकि हमारे ऋषियों ने धरती को माता और मनुष्य को उसका पुत्र कहा है। मत्स्य पुराण में भी एक वृक्ष को दस पुत्रों के समान बताया गया है। यही कारण है कि प्रकृति की रक्षा भारतीय संस्कृति का मूल संस्कार है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान केवल पौधारोपण नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक आंदोलन है। मां जीवन देती है और वृक्ष जीवन को सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल पौधारोपण के आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि लगाए गए प्रत्येक पौधे को जीवित रखकर वृक्ष बनाना है। उन्होंने कहा कि हर पौधा भविष्य की पीढ़ियों के लिए आशा, स्वच्छ वायु और सुरक्षित पर्यावरण का प्रतीक है।

***पौधों को परिवार के सदस्य की तरह संरक्षित करना आवश्यक**

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे अपनी मां के नाम पर पौधा लगाकर उसे परिवार के सदस्य की तरह संरक्षित करें। उन्होंने कहा कि सरकार इस अभियान में सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, पंचायतों, नगर निकायों, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

हरियाणा में जल जीवन मिशन 2.0 का और बेहतर तरीके से हो कार्यान्वयनः केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल

चंडीगढ़ । केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने गुरुवार देर शाम को दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर बैठक ली।बैठक में हरियाणा के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद रहे।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री सीआर पाटिल ने कहा कि हरियाणा में जल जीवन मिशन 2.0 का और बेहतर तरीके से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। लोगों को साफ और स्वच्छ पीने का पानी मिले, उनकी यह पहली प्राथमकिता है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 से जुड़ी हरियाणा की जो भी योजनाएं उनके समक्ष आएंगी, उन पर विचार किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना और केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री व करनाल लोकसभा के सांसद श्री मनोहर लाल, हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी तथा लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि वे सभी राज्यों के सांसदों से जल जीवन मिशन को लेकर संवाद शुरू कर रहे है ताकि इसे और प्रभावी तरीके से ग्राउंड पर क्रियान्वित किया जा सके। इसी कड़ी में हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी सांसदों से एक-एक करके उनके क्षेत्र और प्रदेश से जुड़ी समस्याओं को जाना और आश्वासन दिया कि इन विषयों पर गहनता से निरीक्षण करने के बाद उनका समाधान भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री सीआर पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के अंतर्गत 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया गया है। इस योजना का लाभ आम जन तक पहुंचा है।

काम की गुणवत्ता पर बारीकी से नजर रखें सांसद

केंद्रीय मंत्री श्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार ने अलग-अलग परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को फंड जारी किया हैं। ऐसे में इन परियोजनाओं का काम सही से गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। सांसद अपने क्षेत्र में हो रहे काम की गुणवत्ता पर बारीकी से नजर रखें। यदि कहीं गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं हो रहा है तो चाहे उन्हें भी सीधी शिकायत भेज सकते हैं, ऐसे अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर उनके द्वारा कार्रवाई की भी गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने वर्षा जल के संचय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बारिश में बहुत सा पानी ऐसे ही बह जाता है, हमें अधिक से अधिक वर्षा जल का संचय करना चाहिए। इससे जल बर्बाद होने से बचेगा और हम इसे भविष्य में इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बोरवेल बनाकर वर्षा जल से वाटर रिचार्ज किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा जल भर जाता है, वहां अधिक से अधिक बोरवेल बनाने चाहिए। इससे कम खर्च में वाटर रिचार्जिंग की जा सकती है।

डार्क जोन में वर्षा जल संचय के लिए बनाई जाए झीलः केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में जहां-जहां डार्क जोन हैं, वहां वर्षा जल के संचय के लिए 100 बड़ी झील बनानी चाहिए। इससे वर्षा जल का संचय होगा और वाटर रिचार्जिंग भी होगी। प्रदेश में बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं, जहां पंचायती जमीन है, ऐसे स्थानों पर यह झील बनाकर वर्षा जल संचय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई एक निरतंर चलने वाला प्रोसेस है।

हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल; 17 आईएएस और 8 एचसीएस अधिकारियों का तबादला

संवाददाता

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तत्काल प्रभाव से 17 आईएएस एवं 8 एचसीएस अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार श्रीमती जी. अनुपमा, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, को युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

श्री सी.जी. रजनी कांथन, जिनके पास वर्तमान में वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव, केंद्रीय परीक्षा समिति के सचिव तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग के आयुक्त एवं सचिव का कार्यभार है, अब चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के आयुक्त एवं सचिव भी होंगे। श्री के. मकरंद पांडुरंग, जो वर्तमान में पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग तथा कला एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के महानिदेशक एवं सचिव हैं, को सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग का आयुक्त एवं सचिव और पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री दुष्मंता कुमार बेहरा, जो वर्तमान में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव हैं, को मानव संसाधन विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग का आयुक्त एवं सचिव नियुक्त किया गया है। श्री राजीव रंजन, जो वर्तमान में करनाल मंडल के आयुक्त हैं, को कार्मिक, प्रशिक्षण एवं संसदीय मामले विभाग का सचिव, निदेशक प्रशिक्षण (पदेन), जांच अधिकारी, सतर्कता तथा हरियाणा आपूर्ति एवं निपटान विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्री पंकज, जो वर्तमान में कार्मिक, प्रशिक्षण एवं संसदीय कार्य विभाग के सचिव, निदेशक प्रशिक्षण (पदेन), जांच अधिकारी, सतर्कता तथा हरियाणा आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक हैं, को हरियाणा लोक सेवा आयोग का सचिव तथा हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री प्रभजोत सिंह, जो पर्यावरण विभाग के महानिदेशक तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के सचिव हैं, को परिवहन आयुक्त, हरियाणा तथा परिवहन विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। श्रीमती हेमा शर्मा, जो वर्तमान में हरियाणा की चीफ सैटलमेंट कमिश्नर तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव हैं, को करनाल मंडल का आयुक्त लगाया गया है। डॉ. आदित्य दहिया, जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, भविष्य विभाग के निदेशक तथा हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, को सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग तथा कला एवं सांस्कृतिक मामले विभाग का निदेशक एवं विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। उनके पास हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक तथा भविष्य विभाग के निदेशक का कार्यभार भी रहेगा। श्री यशेंद्र सिंह, जो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव हैं, को नगर निगम फरीदाबाद का आयुक्त तथा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इंटर स्कूल चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा

मुरादाबाद। द आर्ट स्टूडियो और नेशनल स्पोर्ट्स क्लब, मुरादाबाद के संयुक्त तत्वावधान में इंटर स्कूल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी (नगर) अंकुर श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि पूर्व बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. विशेष गुप्ता रहे। क्रिप्टन पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड के प्रधानाचार्य सीबी जली ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रधानाचार्या संगीता स्नेह ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष चंद्रकांत सरन और द आर्ट स्टूडियो की निदेशक ज्योति मलिक ने प्रतियोगिता का संचालन किया। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के शिक्षक विनीत गोस्वामी ने निर्णायक की भूमिका निभाई, जबकि कार्यक्रम का संचालन वंदना पांडेय ने किया।

मध्यस्थता अभियान का असरः अदालत के चक्कर से छूटा पीछा, फिर एक हुआ बिखरता परिवार

देवरिया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे 'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0' के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया ने पारिवारिक कड़वाहट को दूर कर एक टूटते रिश्ते को बचा लिया है। कोर्ट-कचहरी के चक्कर में उलझा एक परिवार मध्यस्थता केंद्र की पहल के बाद आपसी सहमति से पुनः एक साथ रहने को राजी हो गया, जिससे वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया।जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष धनेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन और सचिव अर्चना-द्वितीय के नेतृत्व में पारिवारिक अदालत से संदर्भित भरण-पोषण वाद (रीमा देवी बनाम लालू यादव) को सुलह-समझौते के लिए मध्यस्थता केंद्र भेजा गया था। अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय (कक्ष संख्या-02) शिखा रानी जायसवाल द्वारा भेजे गए इस मामले में नियुक्त मध्यस्थ अनिल कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग की। मध्यस्थता के दौरान पति-पत्नी को उनके सामाजिक व पारिवारिक दायित्वों का बोध कराया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने बिना किसी दबाव के आपस में समझौता कर लिया। आपसी सहमति बनने के बाद दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से मुकदमा वापस लेते हुए एक साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया और खुशी-खुशी अपने घर लौट गए। इस सफलता पर प्राधिकरण की सचिव ने आमजन से अपील की है कि वे लंबे मुकदमों में समय और धन नष्ट करने के बजाय मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से आपसी बातचीत से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालें, जिससे सामाजिक ताना-बाना और रिश्ते सुरक्षित रह सकें।

रेलवे ने ऋण सेवा को स्थिर रखा है; लगातार मूलधन पुनर्भुगतान और पट्टे शुल्क ब्याज हिस्सेदारी में कमी पिछले पांच वर्षों के वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है

गोरखपुर । भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) भारतीय रेलवे (आईआर) की समर्पित बाजार ऋण लेने वाली समर्पित संगठन है। इसका प्राथमिक व्यवसाय रोलिंग स्टॉक परिसंपत्तियों, रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण और उन्हें रेलवे को पट्टे पर देना है। इसके अलावा, आईआरएफसी के पास अन्य संस्थाओं को ऋण देने का अधिकार है, जिनके पास रेलवे के लिए विद्युत उत्पादन और पारेषण, खनन, ईंधन, कोयला, वेयरहाउसिंग, दूरसंचार, होटल और खानपान सेवा आदि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हैं। सरकार ने हाल के वर्षों के दौरान सकल बजटीय सहायता से रेलवे को पर्याप्त सहायता प्रदान की है, जिसका उपयोग अवसंरचना परियोजनाओं और चल स्टॉक के लिए किया गया है। इन्हें पहले अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता था। भारतीय रेल द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान आईआरएफसी और वित्त मंत्रालय को पट्टे शुल्क के मूलधन पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान का विवरण - वित्त वर्ष 2021-22 में मूलधन पुनर्भुगतान रु. 14,192 करोड़ तथा ब्याज भुगतान रु. 14,510 करोड़ कुल रु. 28,702, वित्त वर्ष 2022-23 में मूलधन पुनर्भुगतान रु. 16,922 करोड़ तथा ब्याज भुगतान रु. 17,267 करोड़ कुल रु. 34,189 , वित्त वर्ष 2023-24 में मूलधन पुनर्भुगतान रु. 20,084 करोड़ तथा ब्याज भुगतान रु. 17,946 करोड़ कुल रु. 38,030 , वित्त वर्ष 2024-25 में मूलधन पुनर्भुगतान रु. 23,938 करोड़ तथा ब्याज भुगतान रु. 21,630 करोड़ कुल रु. 45,568 तथा वित्त वर्ष 2025-26 में मूलधन पुनर्भुगतान रु. 24,853 करोड़ तथा ब्याज भुगतान रु. 21,685 करोड़ कुल रु. 46,538 इस प्रकार है। कोविड महामारी के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में ऋण सेवा स्थिर रखी गई है।

बाल विकास और शिक्षा को नया आयामः देवरिया में 12 अगस्त को एक साथ होंगी ग्राम बाल कल्याण समिति और पीटीएम

मिशन वात्सल्य के तहत जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अनूठी पहल

देवरिया। जनपद में बच्चों के सर्वांगीण विकास, बाल संरक्षण और परिषदीय शिक्षा व्यवस्था को सामुदायिक सहभागिता से जोड़ने के लिए कलेक्ट्रेट प्रशासन ने अभिनव पहल की है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर आगामी 12 अगस्त को अपराह्न 2:00 बजे जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में एक साथ 'ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति' की बैठक तथा परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 'अभिभावक-शिक्षक बैठक' (पीटीएम) का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मिशन वात्सल्य योजना के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने के लिए यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। 12 अगस्त को आयोजित होने वाली इस साझा बैठक में बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन, नियमित उपस्थिति, सीखने के स्तर में सुधार, कुपोषण मुक्ति तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी।

डीएम के निर्देश पर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी

भटनी देवरिया।

जिलाधिकारी के निर्देश पर औषधि विभाग ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर निरीक्षण किया। औषधि निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में लार और भाटपाररानी क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। इस दौरान संदिग्ध औषधियों के नमूने लेकर राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए। औषधि विभाग की टीम ने ओम मेडिकल एजेंसी, लार थाना के निकट, शर्मा मेडिकल हॉल, फफेलिया मोड़ छपिया भाटपाररानी तथा दानिश मेडिकल स्टोर, चनुकी मोड़ लार का निरीक्षण किया। ओम मेडिकल एजेंसी से दो तथा शर्मा मेडिकल हॉल से दो संदिग्ध औषधियों के नमूने संग्रहित किए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है। निरीक्षण के दौरान ओम मेडिकल एजेंसी पर कम तापमान में रखी जाने वाली औषधियों के लिए फ्रिज उपलब्ध नहीं मिला। इसके अलावा पशुओं की औषधियों के पृथक भंडारण के लिए आवश्यक लेबल भी नहीं लगा पाया गया। मेडिकल स्टोर में भंडारित आठ औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए प्रोपराइटर को निर्देशित

किया गया। वहीं, शर्मा मेडिकल हॉल और दानिश मेडिकल स्टोर पर औषधियों की बिक्री के बिल जारी नहीं किए जाने की बात सामने आई। निरीक्षण के दौरान शिड्यूल एच-1 की औषधियों की बिक्री के लिए आवश्यक रजिस्टर भी रक्षित नहीं पाया गया। औषधि विभाग के अनुसार, संग्रहित दवाओं की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अमेरिका और ईरान की लड़ी गई जंग मज़हबी नहीं बल्कि सियासी जंग थी- मुफ्ती सलीम बरेलवी

बरेली। उर्स-ए-रज़वी के दूसरे दिन आज बाद नमाज़-ए-फ़ज़र कुरान ख्वानी हुई। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम इस्लामिया मैदान में दरगाह सरपरस्त हज़रत मौलाना सुब्हान रज़ा खान(सुब्हानी मियां) की सरपरस्ती, सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां की सदारत व सय्यद आसिफ मियां की देखरेख में शुरू हुआ। हाजी गुलाम सुब्हानी और आसिम नूरी ने मिलाद नज़राना पेश किया। कुरान की तिलावत से मुफ्ती ज़ईम रज़ा ने सुबह 8 बजे महफ़िल का आगाज़ किया। मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि कुल शरीफ के बाद तहफ़ुज़ मज़हब-ओ-मसलक कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने कहा कि हाल ही में अमेरिका और ईरान की बीच लड़ी गई जंग एक सियासी जंग थी इसे हरगिज़ मज़हबी जंग नहीं कहा जा सकता।

मुंबई में लग्जरी घरों की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड, 6 महीने में 18,512 करोड़ का कारोबार

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लग्जरी हाउसिंग बाजार ने वर्ष 2026 की पहली छमाही में नया रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया सोथेबीज़ इंटरनेशनल रियल्टी और सीआरई मैट्रिक्स की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, 10 करोड़ और उससे अधिक कीमत वाले घरों की कुल बिक्री 18,512 करोड़ तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे बड़ा अर्धवार्षिक आंकड़ा है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाली तिमाहियों में बिक्री की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है। इसकी वजह ॥1 2026 का बेहद ऊंचा आधार और आर्थिक विकास एवं शेयर बाजार को लेकर अधिक सतर्क दृष्टिकोण बताया गया है। जनवरी से जून 2026 के बीच 957 लग्जरी घरों की बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है। वहीं H1 CY23 के मुकाबले यह आंकड़ा 71 प्रतिशत ज्यादा रहा। पिछले 12 महीनों में करीब 1,700 लग्जरी आवास बिके, जो इस सेगमेंट का अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक रिकॉर्ड है।

रिपोर्ट के अनुसार, 20 करोड़ से 40 करोड़ रुपए की कीमत वाले घरों की मांग में सबसे अधिक तेजी देखी गई। इस श्रेणी में बिक्री H1 CY23 के 66 यूनिट से बढ़कर H1 CY26 में 156 यूनिट हो गई। वहीं 40 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले अल्ट्रा-लग्जरी घरों की 41 डील दर्ज की गई। मुंबई के प्रमुख माइक्रो-मार्केट्स में वर्ली सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला इलाका रहा। यहां लग्जरी संपत्तियों का लेनदेन मूल्य 79 प्रतिशत बढ़कर 4,493 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि बिकने वाले घरों की संख्या लगभग 4.5 गुना बढ़कर 159 हो गई। 2023 के बाद लॉन्च हुई नई लग्जरी परियोजनाओं ने इस बढ़ोतरी को गति दी। वहीं लोअर परेल भी तेजी से उभरता बाजार बनकर सामने आया, जहां लेनदेन मूल्य 79 प्रतिशत बढ़कर 1,113 करोड़ रुपए हो गया। रिपोर्ट के अनुसार, 2,000 से 4,000 वर्गफुट आकार वाले घर खरीदारों की पहली पसंद बने रहे और प्राथमिक बाजार की कुल बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 58 प्रतिशत रही। मुंबई के शीर्ष 10 लग्जरी इलाकों ने पहली छमाही में शहर की कुल प्राथमिक लग्जरी हाउसिंग बिक्री के 80 प्रतिशत मूल्य में योगदान दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में भी मुंबई का लग्जरी हाउसिंग बाजार मजबूत बना रहेगा, हालांकि वृद्धि की रफ्तार अपेक्षाकृत संतुलित और मुख्य रूप से वास्तविक खरीदारों (एंड-यूजर) की मांग पर आधारित रहने की संभावना है।

एसबीआई का जून तिमाही में शुद्ध लाभ 13.7 प्रतिशत बढ़कर 24,113 करोड़ रुपए पर

मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 13.73 प्रतिशत बढ़कर 24,113 करोड़ रुपए रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 21,201.47 करोड़ रुपए और पिछली मार्च तिमाही में 19,642.87 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजार को दी सूचना के अनुसार, एकल आधार पर बैंक का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 10.23 प्रतिशत बढ़कर 21,121.22 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में 19,160.44 करोड़ रुपए था। बैंक की कुल आय बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो 2025-26 की समान तिमाही में 1.35 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं, इस दौरान कुल खर्च बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2025-26 की समान अवधि में 1.04 लाख करोड़ रुपए था। बैंक ने बताया कि जून तिमाही में फंसे कर्ज (एनपीए) के लिए प्रावधान घटकर 3,359 करोड़ रुपए रह गया, जो 2025-26 की समान तिमाही में 4,934 करोड़ रुपए था। हालांकि, पिछली तिमाही के 3,140 करोड़ रुपए के मुकाबले यह अधिक रहा। बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) 30 जून, 2026 को घटकर 1.47 प्रतिशत रही, जो मार्च अंत में 1.49 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 1.83 प्रतिशत थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एफएसएसएआई के 100 प्रतिशत दावा बैन आदेश पर लगाई रोक, डाबर को राहत

नयी दिल्ली । सात अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खाद्य नियामक एफएसएसएआई के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे उत्पादों को 100 प्रतिशत दावों के साथ बेचने से प्रतिबंधित किया गया था। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि डाबर लंबे समय से इन उत्पादों की बिक्री कर रही है और प्रथम दृष्टया उसे राहत देने का मामला बनता है, क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आदेश पारित करने से पहले कंपनी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया था।

मेटा पर लगा 5,000 करोड़ का तगड़ा जुर्माना, युवाओं की सेहत से खिलवाड़ पड़ा भारी

सैन फ्रांसिस्को । सोशल मीडिया कंपनी मेटा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी है को न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मेटा को अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं की मानसिक सेहत को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 5,000 करोड़) का भुगतान करने का कड़ा आदेश दिया है। यह फैसला उस बहुचर्चित मुकदमे का हिस्सा है जिसमें मेटा को मार्च में करारी हार का सामना करना पड़ा था।